Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2019 = 6.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, NOV-DEC, 2020, VOL- 8/62

कोविड संकट और प्रवसन

विनीत कुमार सिन्हा, Ph. D.

राजनीति विज्ञान विभाग, पी जी डी ए वी महाविद्यालय सांध्य, दिल्ली विश्वविद्यालय

binit_sinha2004@yahoo.com

Abstract

पूर्व ऐतिहासिक काल से ही प्रवसन मानवीय सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता रही है। आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्थापना एवं विकास के साथ किसी व्यक्ति के अपनी इच्छा से प्रवसित होने को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, जिससे वे अपने जीवन, आजीविका और अवसर को गुणात्मक रूप से बेहतर बना सके। अंतरराज्यीय पर्यवसित होने वाले लोगों में कुछ शिक्षित और कुशल तो कुछ अशिक्षित एवं अकुशल होते हैं। अंततः इनका उद्देश्य अपने बेहतर, गुणवत्ता और स्वस्थपूर्ण जीवन की गारंटी के लिए रोजगार की तलाश होता है। परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि किसी भी आपदा के वक्त अशिक्षित एवं अकुशल श्रमिक रोजगार के जोखिम परक प्रकृति की वजह से ज्यादा प्रभावित होते हैं।

कोरोना आपदा के समय हमारे देश में पहले 21 दिनों के और फिर विभिन्न चरणों में बढ़ाए गये लॉकडाउन के समय इन श्रमिकों को अपने और अपने परिवार के जीवन मरण के प्रश्नों से जूझते हुए हम सबने देखा। इनके जीवन की रक्षा के लिए व्यक्तिगत, समूहगत और सरकारी स्तर पर प्रयास भी हुए हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार, देश के कुल जनसंख्या का 37% प्रवसित लोग हैं जिनमें से 77% (अर्थात चार में से तीन) का जीवन जोखिम भरा है(विश्व बैंक-2019), क्योंकि यह प्रवसन अस्थायी प्रकृति का है। इस लॉकडाउन के दौरान एक सैंपल(3196) सर्वे में पाया गया कि 78% मजदूरों को दिहाड़ी नहीं दी गयी, 82% किसी भी प्रकार के सरकारी राशन नहीं पा सके, 64% श्रमिकों के पास केवल सौ रुपये की राशि शेष थी, 10% परिवार में कोई न कोई महिला गर्भवती थी जिन्हें अपनापन और स्वास्थ सुविधा चाहिए थी, 62% श्रमिकों को आपदा कल्याण के संबंध में बनी नीतियों के बारे में जानकारी नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, 33% श्रमिक किसी न किसी ऋण में डूबे थे जबकि 90% का रोजगार छिन चुका था। पुश फैक्टर के प्रभावी होने के लिए उपर्युक्त कारण उपयुक्त रहे। दूसरी ओर, केंद्र सरकार की घोषणा कि राज्य सरकारें श्रमिकों के भोजन और आवास सुनिश्चित करने के लिए स्टेट डिसास्टर रेस्पोंस फंड का उपयोग कर सकती है और इस कोष में 11000 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित कर दी गयी। वापस हुए मज़दूरों को काम देने के लिए मनरेगा में अतिरिक्त 40000 करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा हुई, ये सारे कारण पूल फैक्टर को प्रभावी बनाया। मकान मालिक द्वारा घर खाली कराए जाने की धमकी और राज्य सरकारों की अव्यवहारिक और गैर व्यावसायिक नीतियों एवं लॉकडाउन के तहत विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के दवाब ने स्थिति को और अराजक बना दिया। इन परिस्थितियों में भारत भाग्य निर्माता श्रमिक वर्ग अपने घर को और अपनों के बीच चले जाने को विवश हुए। समस्याएं यहीं से शुरु होती है।

की- वर्डस: *प्रवसन, विपरीत प्रवसन, लॉक-डाउन, आर्थिक सर्वेक्षण,कार्यशील मजदूर, औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र, पुश एवं पुल फैक्टर, सामाजिक सुरक्षा, कोरोना कैरियर*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

परिचय:

अपने आरंभ से ही मानवता और मानवीय जीवन गतिशील रही है या यों कहें कि पूर्व ऐतिहासिक काल से ही प्रवसन मानवीय सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता रही है। आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्थापना एवं उसके विकास के साथ ही किसी व्यक्ति के अपनी इच्छा से प्रवसित होने को मूल अधिकार के रुप में मान्यता दी गई जिससे वे अपने

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

जीवन, आजीविका और अवसर को गुणात्मक रुप से बेहतर बना सके। कुछ लोग रोजगार, बेहतर आर्थिक अवसरों, परिवार से जुड़ने या फिर अध्ययन के लिए भी अपने घरों को छोड़ते हैं, तो कुछ संघर्ष या झगड़ा फसाद से दूर हटने के लिए, उत्पीड़न से बचने के लिए, आतंकवाद, अतिवाद या फिर मानव अधिकार के उल्लंघन होने की वजह से भी अपने जड़ अर्थात घर को छोड़ने को मजबूर होते रहे हैं1। इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण यह भी है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव, प्राकृतिक- कृत्रिम आपदाएं या फिर अन्य पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं जो लोगों को पर्यवसित होने के लिए समय समय पर बाध्य करते हैं। ऐसे प्रवसन सभी तरह के हो सकते हैं, उदाहरणस्वरूप- अन्त:राज्यीय, अन्तर्राज्यीय या फिर अन्तर्देशीय। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि किसी भी प्रकार के आपदा के समय अशिक्षित एवं अकुशल श्रमिक रोजगार एवं अन्य परिस्थितियों के जोखिम परक प्रकृति की वजह से ये लोग ज्यादा प्रभावित होते रहे हैं। भारत देश भी इससे अछूता नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवसन एजेंसी प्रवसन को परिभाषित करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति जो या तो विदेशी सीमा से बाहर जा रहा है या जा चुका है अथवा अपने ही देश के भीतर अपने रिहायशी आवास के स्थान से दूर गतिशील रहा है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि उस व्यक्ति की वैधानिक स्थिति क्या है, प्रवसन उसकी इच्छा पर आधारित है या अनिच्छा पर, प्रवसन के क्या कारण हो सकते हैं और वे वहाँ कितना दिन रहते हैं। इन सारे सवालों पर तहकीकात नहीं की जाती। संयुक्त राष्ट्र संघ के ही आंकड़े के अनुसार2, विश्व में 2019 में 272 मिलियन पर्यवसित लोगों की संख्या रही है और इसमें 48 प्रतिशत संख्या महिलाओं की है। यह संख्या विश्व जनसंख्या का 3.5 प्रतिशत होता है। दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि प्रतिशत का यह दर बढ़ता ही जा रहा है।

सतत विकास के 2030 के एजेंडे में सतत विकास में पहली बार प्रवसन की भूमिका को स्वीकार किया गया है। सतत विकास के 17 में 11 लक्ष्य ऐसे हैं जो प्रवसन या गतिशीलता की प्रासंगिकता पर बल देते हैं और इस एजेंडे का मुख्य सिद्धांत है- " किसी एक को भी पीछे नहीं छोड़ना(leave no one behind)" यहाँ तक कि पर्यवसित लोगों को भी नहीं। इन लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक नियोजित और कुशल प्रबंधन पर आधारित प्रवसन नीतियों के द्वारा इन लोगों की गतिशीलता को सुरक्षित, निरंतर, व्यवस्थित, गरिमापूर्ण और उत्तरदायी बनाया जा सके।

भारत में कोरोना पॉजिटिव का केस 30 जनवरी 2020 को पहली बार सामने आया। कोविड-19 वायरस की वजह से फैले महामारी के दौरान सरकार और डॉक्टरों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इसका इलाज केवल सामाजिक-व्यक्तिगत दूरी और लॉक-डाउन से ही संभव है और 24 मार्च को 21 दिनों के लिए सरकार द्वारा पूरे देश के लिए पहली लॉक डाउन की घोषणा हुई। आंतरिक- बाह्य सीमाएं सील हुई, परिवहन की व्यवस्था रोक दी गई, कारखाने, दुकानें, भोजनालयों और सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया, केवल आवश्यक सेवाएं जारी रहा3। इससे हुआ क्या? रातों-रात प्रवसित श्रमिक बेरोजगार हो गए, आजीविका का सारे स्रोत बंद हो गए और उन्हें घर से निकाले जाने का डर सताने लगा, क्योंकि मकान मालिकों को किराया भी देना था। लॉक डाउन घोषणा का तुरंत प्रभाव इन प्रवसित मजदूरों के लिए भोजन, आवास, रोजगार का समाप्त हो जाना और

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अपने एवं परिवार के सदस्यों को कोरोना से बचाना, एक बड़ी चुनौती लेकर आया। यही वजह रहा कि देश में पहले 21 दिनों के और फिर विभिन्न चरणों में बढ़ाए गए लॉक डाउन के समय इन श्रमिकों को अपने और अपने परिवार के जीवन मरण के सवालों से जूझते हम सबने देखा। इन विकट परिस्थितियों में पैदल ही लंबी दूरी तय करने, भूख, दुर्घटना से तो मृत्यु हुई ही, साथ ही अवसाद में आ जाने से अनेकों श्रमिक आत्महत्या करने पर भी मजबूर हुए।

जनगणना 2011 के अनुसार, देश के कुल जनसंख्या का 37% प्रवसित लोग हैं जिनमें से 77% (अर्थात चार में से तीन) का जीवन जोखिम भरा है(विश्व बैंक-2019), क्योंकि यह प्रवसन अस्थायी प्रकृति का है। हालांकि, अंतरराज्यीय प्रवसन का कोई आधिकारिक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, फिर भी विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना व्यवस्था के प्रो अमिताभ कुंडू ने एक अनुमान दिया है जो 2011 के जनगणना, एन एस एस ओ सर्वे और इकानॉमिक सर्वे पर आधारित है। उनका अनुमान है कि लगभग 65 मिलियन अन्तर्राज्यीय प्रवसित श्रमिक है और उनमें से केवल 33% कार्यशील मजदूर हैं, जिनमें 30% अनौपचारिक क्षेत्र में हैं जबकि 30% नियमित तो हैं परन्तु वह भी अनौपचारिक क्षेत्र में। इसमें गली मुहल्ले में काम करने वाले मजदूर शामिल नहीं है। उनकी संख्या तकरीबन 12-18 मिलियन के आसपास है। इस तरह के कार्यों में जोखिम बहुत है कि कभी भी इनके आय का स्रोत प्रभावित हो जाता है और फिर इन्हें दूसरे कार्य क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है और वहाँ भी इनके लिए जोखिम कम नहीं होता। सेंटर फॉर द स्टडी अॉफ डेवलपिंग सोसाइटीज(सी एस डी एस) और अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय का 2019 के एक अध्ययन के अनुसार बड़े शहरों की कुल जनसंख्या में 29% रोज काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की संख्या है। प्रो अमिताभ कुंडू अपने अध्ययन में आगे कहते हैं कि कुल अन्तर्राज्यीय प्रवसन में उत्तरप्रदेश और बिहार का योगदान क्रमशः 25% और 14% के बराबर है जबकि मध्य प्रदेश का छह और राजस्थान का पाँच प्रतिशत है। 2017 में प्रवसन पर एक वर्किंग ग्रुप(मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पोवर्टी एलीविएसन) के रिपोर्ट4 में यह तथ्य सामने आया कि देश के 17 जिले ऐसे हैं जिनसे लगभग कुल प्रवसन का 25% के बराबर पुरूष प्रवसन होता है। इनमें से दस जिले उत्तर प्रदेश से- देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती,गोंडा, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर वाराणसी, छह जिले बिहार से- सारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना एवं सिवान और एक जिला गंजम, उड़ीसा से है।

इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के एक अन्य आंकड़ों का विश्लेषण करें तो देखते हैं कि गुरूग्राम, दिल्ली, मुंबई, गौतमबुद्ध नगर, इंदौर, भोपाल, बंगलोर, थिरूवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम, इरोड, कोयंबटूर जैसे जिलों में प्रवसन सर्वाधिक हुआ है । दूसरी ओर,उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, कौशांबी, फैजाबाद के साथ अन्य 33 जिले, उत्तराखंड से उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, टेहरी गढ़वाल, पौरी गढ़वाल, पिथौड़ागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चम्पावत, राजस्थान से चुरू, झुंनझुनु, पाली, बिहार से दरभंगा, गोपालगंज, सिवान, सारण, शेखपुरा, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, झारखंड से धनबाद, लोहरदग्गा, गुमला और महाराष्ट्र से रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग ऐसे जिले हैं जहां से सर्वाधिक प्रवसन हुआ है। इन जिलों और राज्यों का यदि

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सूक्ष्म विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि ये राज्य जहाँ से प्रवसन सर्वाधिक हुए हैं वे या तो गरीब राज्य हैं या पिछड़ा जिला है या फिर एक राज्य के भीतर सर्वाधिक पिछड़ा एवं अविकसित क्षेत्र है5। अब ऐसी स्थिति में प्रवसन का अत्यधिक दर का होना स्वभाविक भी है और भारतीय संविधान के संघीय संरचना के अनुकूल भी।

अब यदि विभिन्न क्षेत्रों में कुल श्रमिकों में प्रवसित मजदूरों का प्रतिशत विभाजन देंखे तो यह आंकड़े भी महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। वैसे यह आंकड़ा, प्रवसन पर वर्किंग ग्रुप 2017 का है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक क्षेत्रों में पुरुष और महिला की भागीदारी प्रतिशत क्रमशः 4 और 75 है, विनिर्माण में यह प्रतिशत क्रमशः 13 एवं 59 है, सार्वजनिक सेवा में क्रमशः 16 और 69 है, निर्माण में 8 और 73, पारंपरिक सेवाओं में 10 और 65 जबकि आधुनिक सेवाओं में यह प्रतिशत क्रमशः 16 और 66 है। अगर इसी क्रम को शहरी क्षेत्रों में देंगे तो यही क्रमशः 20 और 65, 38 और 51, 40 और 56, 32 और 67, 29 और 55 एवं 40 और 52 प्रतिशत है। अब यदि इसे ग्रांड टोटल के रूप में देंखे तो यही प्रतिशत क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों में 6 और 73 जबकि शहरी क्षेत्रों में 33 और 56 प्रतिशत होता है।

उपर्युक्त आंकड़ों के विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों से अत्यधिक प्रवसन का महत्त्वपूर्ण कारण पिछड़ापन है और इसलिए यहां पुश फैक्टर ज्यादा प्रभावी हो जाता है। इसके साथ ही, हम यह भी देख पाते हैं कि इन वर्षों में पुरूषों की तुलना में महिलाओं का प्रवसन काफी बढ़ा है। परिवार के पास जाने और शादी- ब्याह होना एक कारण तो है ही परन्तु, एक अध्ययन के अनुसार, ग्रामीण मजदूरों की मजदूरी में 2014 की तुलना में वर्ष 2019 में केवल 1.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो पाई। इनमें महिला श्रमिकों की स्थिति काफी दयनीय है। उन्हें पुरूषों की तुलना में उनकी मजदूरी का केवल 4/5 वां भाग ही मिल पाता है। यह स्थिति कृषि काल और उसके बाद के दिनों में भी जारी रहती है। इसके अलावा उनके लिए सामाजिक सुरक्षा का विषय भी महत्त्वपूर्ण है। इन परिस्थितियों में महिलाओं का इन वर्षों में प्रवसन काफी बढ़ा है। यह प्रवसन एक ही राज्य में एक शहर से दूसरे शहर में जानें की प्रवृति में तेजी से वृद्धि होने से हुई है अर्थात अन्तर्शहरी प्रवसन काफी बढ़े हैं6।

विश्व बैंक का भारत के संबंध में 2019 का एक रिपोर्ट7 महत्त्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि चार में से तीन कार्यशील श्रमिकों की कार्य प्रकृति जोखिम भरा है, क्योंकि एक तो यह अस्थायी प्रकृति के हैं और दूसरा मौसमी(सीजनल)है। इन मौसमी प्रवसित श्रमिकों में 23.1% अनुसूचित जाति से, 18.6% अनुसूचित जनजाति से, 39.9% अन्य पिछड़े वर्ग से और 18.4% अन्य वर्ग से हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इसकी वजह कुछ इस प्रकार है- कृषिगत और गैर -कृषिगत क्षेत्रों के बीच बढ़ती खाई, संसाधनों एवं आर्थिक अवसरों का आसमान वितरण, भौगोलिक रूप से यह सुखा क्षेत्र है, इनमें से अधिकांश या तो भूमिहीन या फिर सीमांत किसान हैं जिनके पास खरीफ फसल कटने के बाद आजीविका के कोई ठोस अवसर नहीं है, जाहिर सी बात है कि इनके पास कोई रोजगार के अवसर भी नहीं है कि जीने के लिए न्यूनतम जरूरत को पूरा किया जा सके, शिक्षा, कुशलता और न्यूनतम संपत्ति का अभाव तो है ही। इसका परिणाम इनके जीवन का जोखिम से युक्त होना, किसी भी विपत्ति में घबराहट, डर और अभाव जैसी सहज भाव का आना स्वभाविक है। दूसरी ओर, एक अंतर्विरोध यह भी देखने को मिलता8 है कि कुल कार्यबल का 53% जो प्राथमिक क्षेत्रों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, उसका सकल घरेलू उत्पाद

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

में 2018-19 में केवल 16.1% का योगदान रहा है। यह योगदान 2019-20(आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20) के अनुसार और भी घटकर 13.9% तक हो गया और कृषि वृद्धि दर 2014-16 में 0.2%, 2016-17 में 6.3%, 2017-18 में 5.0%, 2018-19 में 2.9%, 2019-20 में 2.8% रहा है। अर्थात इस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा संख्या का भार है, लेकिन जीडीपी में योगदान अन्य की तुलना में सबसे कम है। वृद्धि दर तो कम है ही। अंतर्विरोध की इस संरचना में प्रवसन की दर ज्यादा रहेगी ही।

2011के जनगणना के बाद यह प्रवृति देखी गई कि एक राज्य के भीतर प्रवसन की दरें बाहरी राज्यों में प्रवसन से चार गुणा तक अधिक पाई गई। इस अध्ययन9 में यह भी सामने आया कि इस तरह के प्रवसन में दीर्घकालीन प्रवसित लोगों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे प्रवसन रीयल स्टेट और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में अमूमन अधिक हैं जिसका जी डी पी में लगभग नौ प्रतिशत का योगदान माना जाता है और लगभग 55 मिलियन लोगों को रोजगार दिया है। कोविड-19 ने इन श्रमिकों को भी अत्यधिक प्रभावित किया जिससे वापस होते प्रवसित श्रमिकों की संख्या ज्यादा दिखी। इस लाॅकडाउन के दौरान एक सैंपल(3196) सर्वे में पाया गया कि 78% मजदूरों को दिहाड़ी नहीं दी गयी, 82% किसी भी प्रकार के सरकारी राशन नहीं पा सके, 64% श्रमिकों के पास केवल सौ रुपये की राशि शेष थी, 10% परिवार में कोई न कोई महिला गर्भवती थी जिन्हें अपनापन और स्वास्थ सुविधा चाहिए थी, 62% श्रमिकों को आपदा कल्याण के संबंध में बनी नीतियों के बारे में जानकारी नहीं हो सकी। इतना ही नहीं , 33% श्रमिक किसी न किसी ऋण में डूबे थे जबकि 90%का रोजगार छिन चुका था। पुश फैक्टर के प्रभावी होने के लिए उपर्युक्त कारण उपयुक्त रहे। दूसरी ओर, केंद्र सरकार की घोषणा10 कि राज्य सरकारें श्रमिकों के भोजन और आवास सुनिश्चित करने के लिए स्टेट डिसास्टर रेस्पोंस फंड का उपयोग कर सकती है और इस कोष में 11000 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित कर दी गयी। वापस हुए मज़दूरों को काम देने के लिए मनरेगा में अतिरिक्त 40000 करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा हुई, ये सारे कारण पूल फैक्टर को प्रभावी बनाया। मकान मालिक द्वारा घर खाली कराए जाने की धमकी और राज्य सरकारों की अव्यवहारिक और गैर व्यावसायिक नीतियों एवं लाॅकडाउन के तहत विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के दवाब ने स्थिति को और अराजक बना दिया। इन परिस्थितियों में भारत भाग्य निर्माता श्रमिक वर्ग अपने घर को और अपनों के बीच चले जाने को विवश हुए। जो अपने घर को पहुँचे, उन्हें कोरोना कैरियर मानकर न केवल राज्य पुलिस बल्कि गाँव के अपने लोगों का भी उनपर काफी जुल्म हुआ। बरेली11 में तो ऐसा भी देखा गया कि प्रवसित श्रमिकों के अपने घर पहुँचने पर उनके उपर रसायनिक पदार्थों तक का बहुत ही अमानवीय तरीके से छिड़काव किया गया। बिहार पहुँचते ही रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे को अपनी मृत माँ की तस्वीर को हमारी पीढ़ी को नहीं भूलना चाहिए12। भूलना तो इसे भी नहीं चाहिए कि एक वर्ष की छोटी बच्ची की पैदल चलने की वजह से तेलांगना से छत्तीसगढ़ अपने गांॅव आने के रास्ते में उसकी जान चली गई ,जबकि घर पहुँचने में केवल 11 किलोमीटर ही शेष बचा था13। मृत्यु कितनी दुख:दायी रही होगी हमारी कल्पना से भी परे है। दिल्ली में एक बिहारी मजदूर राम पुकार पंडित14 अपना गाँव इसलिए जाना चाहता था कि वहां अपने बच्चे को आखिरी बार जीवित देख पाए।

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सराय कालेखाँ में लॉक डाउन की वजह से उसे पुलिस ने रोक दिया और आग्रह करने पर बहुत ही भद्दे तरीके से वह पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारे पहुँचने से वह बच्चा जिंदा तो नहीं हो जाएगा। अब राम पुकार जी की मनोदशा को उनके द्वारा व्यक्त किए भावनाओं से समझने की जरूरत है-' हम मजदूरों का कोई जीवन नहीं है, कोई अपना देश भी नहीं, हम तो केवल पहिए के उस चक्रदन्त की तरह हैं जो पहिए को आगे बढ़ाने के लिए जरुरी है15।' इनकी समस्या यहां भी नहीं रूकी, अपने घर वापसी के समय लॉक डाउन के उल्लंघन की वजह इनके खिलाफ जगह जगह पर पुलिस शिकायत, एफ आई आर भी हुआ। डिसास्टर मैनेजमेंट अधिनियम के उल्लंघन होने से एक वर्ष का जेल या आर्थिक दंड या फिर दोनों का प्रावधान है। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अशोक भूषण के बेंच ने निर्णय दिया कि जो प्रवसित मजदूर घर जा रहे हैं उन्हें डिसास्टर मैनेजमेंट विधि के उल्लंघन के आधार पर सजा नहीं मिलनी चाहिए16। इस तरह का निर्णय सरकार के संयंत्र पर होता तो ज्यादा बेहतर होता। ऐसे में ये सारी परिस्थितियां जो प्रवसित मजदूरों के प्रतिकूल रही है, हमें लगता है कि यह राष्ट्र राज्य और लोकतांत्रिक प्रकृति पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। इनकी समस्या यहां से भी आगे बढ़ती है। रेल की विशेष सेवा शुरू करने और रेल किराया पर आपत्तिजनक आरोप प्रत्यारोप शुरू होता है। भारतीय रेल का मानवीय सहायता के लिए एक बेहतरीन इतिहास रहा है। 2015 के नेपाल में आए भूकंप के समय नेपालियों को मुफ्त में मदद पहुँचाने में भारतीय रेल अग्रणी रही है, इसी तरह महाराष्ट्र के सूखे क्षेत्र में पानी पहुँचाना भी एक भारतीय रेल की एक अनोखी पहल रही है। परन्तु अपने ही प्रवसित श्रमिकों को उनके घर पहुँचाने में उनसे सामान्य दिनों से अधिक किराया वसूलने पर भारतीय रेल की काफी आलोचना भी हुई। आरोप यह भी लगे कि मुंबई के वसाइ रोड से गोरखपुर तक का किराया सामान्य दिनों में 660-70 रुपए की तुलना में 740 रुपए क्यूं वसूले गए। जो किराया नहीं दे पाने की स्थिति में थे उन्हें या तो ट्रेन से उतार दिया गया या फिर चढ़ने ही नहीं दिया गया, जबकि सीटें अंत तक खाली रहीं17। इसके अतिरिक्त, रेलवे ट्रैक पर थक हार कर सोने वाले मजदूरों का ट्रेन से कट जाने की घटना और इसपर भेजने वाले राज्य और उन श्रमिकों को स्वीकार करने वाले राज्य की सरकारों के बीच का आरोप प्रत्यारोप मानव चिंतन को झकझोड़ने का काम किया है। कई श्रमिकों की रेल में सफर करते हुए मौत हो गई, यदि उन्हें मेडिकल सुविधा मिल पाती तो उनके जीवन को बचाया जा सकता था।

अब यहाँ सेंट्रल ब्यूरो अॉफ हेल्थ इंटेलिजेंस के आंकड़ों को देखें तो स्वास्थ सुविधा के अभाव की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। देश में 70% स्वास्थ सुविधाएं निजी क्षेत्रों के द्वारा दी जा रही है। यदि निजी क्षेत्र इन सुविधाओं को रोक ले या अत्यधिक लाभ कमाने से वशीभूत होकर ऐसा करना चाहे तो एक आम भारतीय नागरिक के पास रोने के अलावा क्या विकल्प है। दिल्ली के कुछ अस्पतालों ने कोरोना मरीजों को स्वास्थ सुविधा देने के लिए फीस के रूप में एक लाख रूपए प्रतिदिन तय भी किए हैं। इनके मानसिक दिवालियेपन पर हमलोग केवल चर्चा कर सकते हैं, प्रभावी और कल्याणकारी निर्णय तो सरकार को लेनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक अच्छी स्वास्थ सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रति एक हजार जनसंख्या पर एक डॉक्टर अवश्य होना चाहिए, लेकिन भारत में यह अनुपात 1445 है। इसमें निजी क्षेत्र के डॉक्टर भी शामिल हैं। केवल सरकारी

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

डॉक्टर की बात करें यह अनुपात 10926 का हो जाता है। यही वजह है कि गरीब, असहाय और मजदूर वर्ग के लोग कोरोना महामारी के समय स्वास्थ सुविधाएं पाने के लिए परेशान रहे हैं। सरकारी संस्थाओं में असुविधाजनक स्थितियां ज्यादा प्रभावी है। ऐसे में ,भारत में अभी छह लाख डॉक्टर और बीस लाख नर्स की तुरंत आवश्यकता है। अगले दशक में भारत को 2030 तक लगभग 2.07 मिलियन डॉक्टर्स और चाहिए होगा18, अतः सरकार को स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र में सरकारी खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है। यही वजह रही कि कोरोना काल में जब श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाई गयी तो उन ट्रेनों में डॉक्टर के न होने से अनेक मौतें भी हुई हैं। कोरोना काल में यह कहावत प्रचलित हो गया है कि सरकारी अस्पताल गये तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, निजी अस्पताल गये तो जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा, बेहतर यही होगा हमेशा हाथ धोते रहें और कोविड-19 वायरस से दूर रहें।

ऐसा नहीं कि प्रवसित श्रमिक इनकी राजनीति को समझ पाने में सक्षम नहीं है। इनका दुःख और व्यवस्था के प्रति क्षोभ तब और बढ़ता है जब विभिन्न राज्य की सरकारों ने जो राजनीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे और जिनका उनपर प्रभाव पड़ना था, उन्हें सरकारी खर्चों से वापस भी लाया19। गुजरात की सरकार ने उत्तराखंड से,आंध्र की सरकार ने वाराणसी से, पंजाब की सरकार ने नांदेद से अपने अपने राज्य के तीर्थयात्रियों को वापस भी लाया, उत्तरप्रदेश की सरकार ने मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे को कोटा से लाया और जो बड़े या छोटे वीआईपी रहे उन्हें विदेशों से मुफ्त में हवाई जहाज से लाकर भारत वर्ष में संक्रमण फैलाने का भी काम हुआ है। यह सारी घटनाएं पूरे देश के समक्ष घटित हो रही है, सभी देख रहे हैं। एक बिहारी मजदूर ने हमसे फोन पर बातचीत के क्रम में कहा भी कि आखिर हमने क्या गलती की। हमारी अपनी सरकार हमें अपने घर तो पहुंचा ही सकती थी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार और उसे चलाने वाले अमर हो जाते यदि हमें मदद मिल पाती और हमारे सामने हमारे परिवार के सदस्यों को भूख से बिलखते- मरते न देखते। अब सरकार के रहते जब हम अपनों को न बचा पाए तो फिर क्या सरकार, क्या राजनीति? घिन आती है इनपर। यह संवाद भावुक जरुर था लेकिन भारत सरकार ने लॉक डाउन घोषणा करते वक्त यह साफ शब्दों में कहा था कि जो जहाँ है वहीं रहें, राशन पानी की सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की चिंता है, मकान मालिक अभी इन प्रवसित मजदूरों से न तो किराया वसूलें और न हीं घर खाली करने को ही कहें। केंद्रीय सरकार की ओर से ऐसा आदेश भी था और आग्रह भी।

भारत सरकार द्वारा इस तरह के आदेश की घोषणा के पीछे उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि एक तो इन्हें कोरोना संक्रमण से बचाना था और उनके द्वारा गाँवों में किसी प्रकार के संक्रमण प्रसार के खतरे को रोकना भी था। लेकिन भारत सरकार की ऐसी विनीत सोच, चिंतन और कार्ययोजना निर्वाचित राजनीति की भेंट चढ़ गई, ऐसा हम मान सकते हैं। अन्य लोगों के साथ मजदूर संक्रमित भी हुए और अपने ग्रामीणों को संक्रमित भी किए। लॉक डाउन के डीरेल होने या फिर कर देने की वजह से स्थितियां हाथ से निकलती चली गई। मीडिया की भूमिका भी इस समय आपत्तिजनक ही कहीं जाएगी। बस में भर भर कर लोग घर से निकल रहे हैं इसे दिखाने चलाने के बजाय उन्हें लॉक डाउन पालन करने पर ज्यादा खबर चलाना चाहिए था, पर दुर्भाग्य से ऐसा हो न सका। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि भोजन आवास की सरकारी व्यवस्था कहाँ है, उन्हें राशन पानी कैसे मिल सकता है, इस

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

महामारी काल में सरकार की कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए है, गैर सरकारी क्षेत्र में कहाँ कहाँ कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, लोगों से अपील कर सकती थी कि सामुदायिक किचन को आरंभ करना ही चाहिए। लेकिन मीडिया के लोग इन विषयों पर खबर चलाना या दिखाना आवश्यक नहीं समझा। इसके साथ ही, राजनीतिक दल ने हम सभी नागरिकों को यह अहसास दिला गया कि हमारा केवल काम सरकार बनाना और बिगाड़ना भर है। आपदा के वक्त भी मजबूर लोगों के साथ राजनीतिक दलों का न आना उनकी संवेदनहीनता को ही दर्शाता है। नागरिक समाज संगठनों ने इन प्रवसित मजदूरों के लिए इस महामारी में सहायता कार्य तो किया परन्तु उतना भी नहीं हुआ, जितना सावन महिनों में कावरिया के लिए सेवा और सहायता करते थे। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वयं संघ की भूमिका यहाँ बहुत ही महत्त्वपूर्ण और अविस्मरणीय है। 20 मई 2020 तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने 85701 सेवा स्थान पर 39851 यूनिट रक्त दान किया, 11055450 परिवारों को राशन किट दिया गया, 2798091 प्रवसित श्रमिकों की सहायता की गई, 6281117 लोगों को मास्क वितरण किया गया, 71146500 तैयार भोजन पैकेट बांटे गए, 131443 लोगों को अस्थायी रूप से निवास की व्यवस्था कराई गयी, 136867 घूमन्तू लोगों की सहायता की गई, पशु पक्षी को दाना, खाना और पानी भी साथ साथ दिया जा रहा है। इस पूरे कार्ययोजना में 479949 स्वयंसेवक दिन रात लगे रहे।

अहमदाबाद आई आई एम के प्रोफेसर चिन्मय तुंबे जनगणना 2011 के आंकड़ों अध्ययन के आधार पर उनका कहना है कि दिल्ली में प्रवसन की दर 43% है और उनमें 88% दूसरे राज्यों से है एवं उसका 63% ग्रामीण क्षेत्र से है। मुंबई में प्रवसन की दर 55% है जिनमें 46% दूसरे राज्यों से है और उसका 52% ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। यदि सूरत की बात करें तो प्रवसन की दर 65% है जिनमें 50% दूसरे राज्यों से है और उसका 76% ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं। प्रवसन की दर हैदराबाद का भी लगभग 64% है परन्तु दूसरे राज्यों से आए केवल सात प्रतिशत है।20

अब इस आंकड़ें का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि एक बड़ा प्रतिशत अन्य राज्यों का है और उसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत अधिक है। ऐसे में यदि हमारी भारत की सरकार लॉक डाउन की घोषणा न की होती तो महामारी की स्थिति कितनी भयावह हो सकती थी, कल्पना मात्र से खोपड़ी और करेजा दोनों ही सिहर उठता है। अतः लॉक डाउन क्यों किया गया इसपर सवाल खड़ा करना नादानी है, लॉक डाउन को और बेहतर तरीके एवं पूर्ण रुप लागू कैसे किया जा सकता था, इसपर विमर्श की गुंजाईश जरुर है।

प्रो चिन्मय तुंबे अपने एक आलेख " डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड द ग्रोथ अॉफ सीटीज इन इंडिया-1870-2020" में लिखते हैं कि उड़ीसा के तटीय जिला गंजम के बहुत सारे श्रमिक गुजरात के सूरत में काम करते रहे हैं। इस जिला में एड्स विषाणु का जो कहर देखने को मिला था उसका स्रोत सूरत जिला रहा है। इसी तरह अपने एक अध्ययन के आधार पर प्रो सिद्धार्थ चंद्र बताते हैं कि 1918 में इनफ्लूंजा महामारी के वक्त इससे सबसे ज्यादा यू पी और बिहार का ग्रामीण क्षेत्र इसलिए प्रभावित हुआ था क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप लड़ने गए थे। ये लोग तब के बंबई और मद्रास होकर अपने अपने गाँव लौटे थे और यही उस महामारी विषाणु को गाँवों में फैलाया और 18 मिलियन की एक बड़ी आबादी को बिना उनकी कोई गलती के मरना पड़ा।

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

भारत के सोलिसिटर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा है कि 97 लाख प्रवसित मजदूरों को वापस उनके राज्य भेजा गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि 21.69 लाख मजदूर वापस आए, 1.35 लाख को बाहर भी भेजा, महाराष्ट्र से 11 लाख वापस गये, 10 लाख मजदूर बिहार वापस हुए,गुजरात से 20.50 लाख वापस अपने अपने राज्य गये, कर्नाटक तीन लाख मजदूरों को वापस भेजने में सफल रहा, उस वक्त तक पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा कि हमारे राज्य में 397389 मजदूर अन्य राज्यों के फंसे हुए हैं। वापसी प्रवसन के इन आंकड़ों की अगली कड़ी में प्रो चिन्मय तुंबे का अनुमान है कि यह आंकड़ा लगभग तीन करोड़ के बराबर होना चाहिए, यद्यपि वे इस आंकड़ें को भी दुरुस्त नहीं मान पाते क्योंकि आंकड़े इक्ट्ठा करने की पद्धति बहुत वैज्ञानिक नहीं है। प्रो अमिताभ कुंडू, के. वर्गीज और खालिद खान का अनुमान 2.2 करोड़ के आस पास है। इनका कहना है कि इनमें से 1.6 करोड़ आंतरिक प्रवसन है जबकि 60 लाख लघु कालीन प्रवसित श्रमिक हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के डिसेंट वर्क टीम, दक्षिण एशिया के डॉ नोमन माजिद इस वापसी प्रवसित श्रमिकों की संख्या का अनुमान21 लगभग पाँच करोड़ मान रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा लिए गए लॉक डाउन के निर्णय पर सवाल खड़ा करना महामारी को कम आंकने जैसा होगा।

निष्कर्ष:

यह महामारी कोरोना के समय की है। परन्तु 2018 के नेशनल कैंपेन कमिटी फॉर सेंट्रल लेजिसलेशन अॉन कंस्ट्रक्शन लेबर्स वर्सेस यूनियन अॉफ इंडिया के निर्णय में जस्टिस एम बी लोकुर कहते हैं कि कानून में दिए गए जीवन जीने के लिए आधारभूत अधिकार एवं उनकी गरिमा को निश्चित करने में हम असफल रहे हैं। सामान्य काल में भी प्रवसित मजदूरों के लौटते समय हिंसा, छीना झपटी, भूख प्यास और उनके जीवन को सुरक्षा देने में हम कहाँ तक सफल रहे हैं, यह एक बड़ा और नैतिक सवाल है। न्यायमूर्ति लोकुर एक ऐसा सवाल हमारे समक्ष रखते हैं, जिससे राज्य राष्ट्र की अवधारणा ही सवाल के घेरे में आने लगता है। कोई राज्य अपने नागरिकों को यदि सुरक्षा और सम्मान न दे पाए तो राजनीतिक बाध्यताओं पर सवाल तो होगा ही।

संदर्भ:

1. *भगत, आर. बी एंड केसरी के,(2020)' इंटरनल मायग्रेसन इन इंडिया, इन मार्टिन बेल, ए. बर्नार्ड, चार्ल्स एडवर्ड एंड यू झू (एडिटेड) इंटरनल मायग्रेसन इन द कंट्रीज अॉफ एशिया: ए क्रास नेशनल कैंमपेरेजन, स्पिंगर इंटरनेशनल पब्लिशिंग, चेन्नई।*
2. *भगत, आर. बी.(2012) ' समरी रिपोर्ट' कंमपेंनडियम आन वर्कशॉप रिपोर्टर ऑन इंटरनल मायग्रेसन इन इंडिया, वोल्यूम1, यूनेस्को एंड यूनिसेफ, डेल्ही।*
3. *जन सहास, (2020) व्याइस अॉफ द इनभिजिवल सीटीजन: ए रैपिड एसेसमेंट आन द इंपैक्ट आन कोविड-19 लाक-डाउन आन इंटरनल मायग्रेन्ट वर्कर्स, अप्रैल, न्यू डेल्ही।*
4. *मिनिस्ट्री अॉफ हाउसिंग एंड पोवर्टी एलिविएसन(2017)' रिपोर्ट आफ द वर्किंग ग्रुप आन मायग्रेसन अॉफ इंडिया, न्यू डेल्ही।*
5. *मिनिस्ट्री अॉफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंम्पलीमेंटेशन (2019),एनुअल रिपोर्ट पिरयोडिक लेबर फोर्स सर्वे, 2017-18, नेशनल स्टेसटिकल आफिस, गवर्नमेंट आफ इंडिया, न्यू डेल्ही।*
6. *एन एस एस ओ(2010) ' मायग्रेसन इन इंडिया 2007-08, मिनिस्ट्री आफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंम्पलीमेंटेशन, गवर्नमेंट आफ इंडिया, न्यू डेल्ही।*
7. *बीबीसी (2020), http:// www.bbc com/news/ world-asia-india- 52086274*

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

8. कोरोना वायरस: गवर्नमेंट टेल्स एस सी वन थर्ड आफ मायग्रेंट वर्कर्स कुड बी इनफेक्टेड, 01-04-2020,
9. http://www.livemint.com/ news/India/covid-19-govt-tells-sc-one-third-of-migrantworkers-could-be-infected-11585643185390
10. गवर्नमेंट आफ इंडिया (2020c), एडवायजरी फार क्वाराइनटाइन आफ मायग्रेंट वर्कर्स, एट
11. http://www.mohfw.gov.in/pdf/Advisoryforquarantinemigrantworkers.pdf.
12. गवर्नमेंट अ
13. आफ इंडिया(2020d) ' सायक्लोजिकल इसू अमोंग मायग्रेंट ड्यूरिंग कोविड-19, एट
14. http://www.mohfw.gov.in/pdf/RevisedpsychosocialissueofmigrantsCOVID19.pdf.
15. इंडिया टूडे(2020)
16. http://www.indiatoday.in/India/story/coronavirus-migrants-sprayedwith-disinfectants-on-road-in-up-bareily-dm-assures-action-1661371-2020-03-03.
17. मायग्रेंट्स आर द अनसंग हीरोज आफ द पेंडेमिक, एट-
18. http://www.wctrib.com/opinion/5030551-Ishaan-Tharoor-Migrants-are-the-unsungheroes-of-the-pademic
19. प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया(2020c), कोरोना वायरस: एम एच ए चेंजेज द रूल्स, स्टेट डिस्साटर रिलिफ फंड टू बी यूज्ड टू गीभ फूड, शेल्टर फार मायग्रेंट वर्कर्स. डेक्केन हेराल्ड, 27-03-2020.
20. अंडरस्टैंडिंग द इंमप्लीकेशंस आफ द कोविड-19 लाक डाउन आन मायग्रेंट वर्कर्स चिल्ड्रेन,05-05-2020, एट-
21. thewire.in/rights/covid-19-lockdown-migrant-workers-children-implecations.
22. इंडियन एक्सप्रेस, एक्सप्लेंड: इंडियन मायग्रेंट एक्रोस इंडिया, 29-04-2020
23. इंडियन एक्सप्रेस, एक्सप्लेंड: हाउ मेनी मायग्रेंट्स वर्कर्स डिसप्लेस्ड? ए रेंज आफ एस्टिमेट्स।
24. द कोविड-19, मायग्रेसन एंड लायवलीहुड इन इंडिया, एट-
25. iipsindia.ac.in/sites/defaults/files/iips_covid19.pdf
26. कस्टमाइज्ड फ्राम द रजिस्ट्रार जेनेरल आफ इंडिया बेस्ड आन सेंसस 2011 इन द रिपोर्ट अॉफ वर्किंग ग्रुप आन मायग्रेसन, 2017.
27. शेयर आफ मायग्रेंट वर्कर्स अमोंग टोटल वर्कर्स बाय मेजर सेक्टर्स, एन एस एस ओ 2007-08, रिपोर्ट अॉफ द वर्किंग ग्रुप इन मायग्रेसन, 2017.
28. यूनाइटेड नेशंस: पीस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी आन ए हेल्दी प्लैनेट, एट-
29. un.org/en/sections/iss
30. डोंट ब्लेम कोविड आर फिनानसियल पैकेज पॉलिटिक्स आफ होल्डिंग इंडिया'ज मायग्रेंट वर्कर्स होस्टेज, एट- theprint.in

Copyright © 2020, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies